न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

A6
7

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 42/15

श्री प्रदीपकुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

मै0 परमानन्द मनीष कुमार, प्रो. मनीष कुमार पुत्र सुरेन्द्र गर्ग, यिपी नूडल्स विक्रेता, दु.नं 99, सब्जी मण्डी, सादुलशहर, श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ा)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 30.03.2017

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रदीपकुमार राजपूत दिनांक 06–06–12 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उसे राज्य सरकार के आदेश कमांक एच/पीएफए/एफएसएसए/नोटिफिकेशन 2012/568 दिनांक 28–5–12 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना/2011/496 दिनांक 18–8–11 के अनुसार इनका कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर आवंटित किया गया है और जिला श्री गंगानगर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में बताए गए हैं।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.062015 को 12:15 पी.एम. पर वास्ते चैकिंग परमानन्द मनीष कुमार पर पहुंचे वहां प्रो0 मनीष कुमार पुत्र सुरेन्द्र गर्ग यिपी नूडल्स विक्रय कर रहा था जो कि 2 कार्टून के आसपास यिपी नूडल्स था, जो वास्ते विक्री रखा हुआ था। उसमें मिलावट का शक होने पर उसमें से 420 ग्राम यिपी नूडल्स वास्ते नमूना जांच संख्या के–551 तीन साफ सूखे एवं खाली कार्टून में 140 ग्राम कें हिसाब से लिया और खरीद शुदा नूडल्स की कीमत अखरे रूप्ये 240–00 मनीष कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र गर्ग को गवाह श्री तिलकराज एवं पवन कुमार के सामने देकर रसीद प्राप्त की। मनीष कुमार को फार्म नं0 5 ए पर नोटिस देकर बता दिया था कि नमूना वास्ते जॉच लिया गया है, जिसको पढ़ समझ कर सही मानकर मनीष कुमार ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं0 5 की एक प्रति मनीष कुमार को देकर रसीद प्राप्त की गई। खरीद शुदा यिपी नूडल्स को चार साफ सूखी खाली पैकेटों में बराबर –2 डालकर लेबल तैयार किये और उन पर खाद्य नमूना सं0 के–551 एवं अन्य विवरण दर्ज कर उन पर स्वंय ने व विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये और इनको प्रत्येक शीशी पर चिपकाया गया। प्रत्येक शीशी को खाकी कागज से लपेट कर प्रत्येक शीशी पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा स्लिप के–551 नियमानुसार नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक शीशी को धागे से बॉध कर चार–चार जगह सील चपड़ी किया और प्रत्येक शीशी पर मनीष कुमार के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आवें। इन चारों सील्ड शीशीयों पर नियमानुसार गवाह तिलकराज एवं पवन कुमार के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय ने किये और इन चारों सील्ड पैकेटों को अपने कब्जे में ले लिया। इस समस्त कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। इसके पश्चात् फार्म नं0 6 की सात प्रतियॉ तैयार की गई और प्रत्येक पर सील नमूना अंकित किया गया। जॉच नमूनों की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

42/2015

A6/2

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना सं0 के–551 की एक सील्ड पैकेट को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ सील बन्द कर जन विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर के पास जॉच हेतु भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई और फार्म नं. 6 की द्वितीय प्रति, जिसमें सील नमूना अंकित था, अलग से जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। खाद्य नमूना के–551 के द्वितीय एवं तृतीय भाग को फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर एवं खाद्य नमूना के चतुर्थ भाग को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी के पास जमा करवा दिया। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1564/एक्ट/2015/508 दिनांक 09.07.2015 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–551 यिपी नूडल्स मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर ने पत्र क्रमांक 202–03 दिनांक 02.12.2015 की पालना में अभियुक्त के विरूद्ध एफ एस एस ए एक्ट 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 28.12.2015 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि :–

The director (Enfordcement), Food Safety and Standards Authority of India (hereinafter "FSSAI") has issued an Order dated 31st March 2016. Whereby use of Monosodium Glutamate (MSG) as flavour enhancer in seasoning for Noodles and Pastas has been dealt with. That the said order clarifies thal Glutamate is naturally found in several common foods such as spices and vegetables ans the MSG is a sodium salt of Glutamic acid and that there is no analytical method to determine whetehr MSG was added during the manufacture of the said product or was naturally present in the product, This viz. if the manufacturer has deliberately added MSG can only be ascertained through inspection of the manufacturing premises. That the said clarification clearly states that to avoid harassment/prosecutionof Food Business Operators as well as to ensure that counumers are given complete information to facilitate informed choices, prosection may ne launched against Food Business Operators only when the label to the product states 'No. MSG' or 'No added MSG' and it is actually found that the manufacturer ha externally added MSG. In the instant case, there is no such finding of determination (through necessary inspectionof the manufacturing premises) available to allege the offence of misbranding on account of the presence of MSG in the said product. no MSG has been added to the said product at the time of manufacture. In light of the clarifications contained in the order of FSSAI dated 31st March, 2016 and considering that the current proceedings have been initiated in relation to Sunfeast YiPPee! nodles with batch no AR06, packed on 26.03.2015 and net weight - 2*280 grams withour ascertaining if MSG has been deliberately addded by the manufacturer, no proceedings can be launched or continued with against rhe applicant herein. Hold that in light of the clarification issued by the Food Safety and Standards Authority of India dated 31st March, 2016 the proceedings launched against the above named applicant not maintainable and the answering applicant prays that the same may be set aside and dropped in limine.

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया यिपी नूडल्स सैम्पल के–551 जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1564/एक्ट/2015/508 दिनांक 09.07.2015 द्वारा मिसब्राण्ड होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 3(1)(zf)(C)(i)(a)(C)(i) of स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराया गया है। जवाब के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। फार्म नं0 3 के साथ दिनांक 31–3–16 के आदेश की प्रति पेश की है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–11–2006 एवं Additional Deputy Commissioner cum Executive Officer Jalander द्वारा केस नं 158/2015 निर्णय दिनांक 08.04.2016 की प्रति पेश की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि परिवाद खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजरथान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक ए एलएस/1564/एक्ट/2015/508 दिनांक 09.07.2015 के अवलोकन से यिपी नूडल्स का सैम्पल मिसब्राण्ड पाया गया है। रिपोर्ट में फूड विश्लेषक द्वारा अपनी राय में व्यक्त किया गया है कि contains added Flavours(s) (Natural Flavours & Natural Flavouring Substance and Nature Identical Flavouring Substances- curry & Masala. No added MSG Store in cool & Dry place, May contain Traces of Soya & Mustard, Printed on B.O.P.P pack No. Added MSG (misleading) contravention Regulation No. 2.3.1(50 of Food Safety & Standards (Packaging andLabelling) Regulation-2011.

In B.O.P.P (Poly pack) pre packed of masala mix pouch is kept loose without any information like(Name of food, symbol for veg. food, Net wt. and company address of manufacturer/packer not mentioned on pre packed of masala mix pouch) Contravention to Regulation 2.2.1(1), 2.2.2(1), (4),(6) and (7) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011.

The sample of "Noodles with Masala Mix (Yippee)(Sunfeast)(ITC)" bearing Code No. and Sr. No. K-551 is musbranded food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) of the food Safety & Standards Act 2006.

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर की रिपोर्ट का भली भांति अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक ने अपनी जांच रिपोर्ट में खाद्य नमूना किस कारण से मिसब्राण्ड हुआ है, इस तथ्य का जांच रिपोर्ट में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। केवल मात्र खाद्य विश्लेषक के लिख देने मात्र से लिया गया नमूना मिसब्राण्ड की श्रेणी में नहीं आता हैं। परिवाद में वर्णित तथ्यों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहीं भी मिसब्राण्ड क्या है, किस कारण से है, इस तथ्य का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है एवं न ही खाद्य विश्लेषक स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1564/एक्ट/2015/508 दिनांक 09.07.2015 के अनुसार अभियुक्त द्वारा बेचा जा रहा यिपी नूडल्यू का नमूना जांच रिपोर्ट में किस कारण से मिसब्राण्ड की श्रेणी में है, का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

Order of Director (Enforcement Division), FDA Bhawan. Kotla road, New Delhi dated 31-03-2016 "It is widely known that Glutamate is naturally found in several common foods such as milk, sppices, wheat, vegetables, etc.

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

42/2015

A6/4

MSG is the sodium salt of Glutmatic acid and one of the many forms of glutamate. Presentlty, there is no analytical method to determine whether MSG was added to the product during its manufacture of was naturally present in the product. This can however be checked through inspection of the manufacturing premises.

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद में ऐसा कोई तथ्य वर्णित नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग परिसर का वरवक्त निरीक्षण किया गया हो तथा निरीक्षण के दौरान MSG was added to the product during its manufacture of was naturally present in the product.

फलस्वरूप मनीष कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार को एफएसएस खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) एवं स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 में लिये गये The sample of "Noodles with Masala Mix (Yippee)(Sunfeast)(ITC)" के–551 के मिसब्राण्ड पाये जाने का परिवाद सावित न होने से खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यिप्पी नूडल्स का मिसब्राण्ड का परिवाद प्रमाणित न होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/3/17

(करतारसिंह पूनिया)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner